यालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
र्थना –पत्र नम्बर 10/2025

र्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

विन्द्र कौर पत्नी श्री तेजवन्त सिह जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद समता नगर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर (राज.)

बनाम

1. गुरदास सिंह पुत्र श्री जगमेल सिंह पुत्र श्री राजासिह
2. शिशनपाल सिह पुत्र श्री जगमेल सिह पुत्र श्री राजासिह
3. स्वर्णजीत कोर पुत्री श्री जगमेल सिह पुत्र श्री राजासिह
4. कमलदीप कौर पुत्री श्री जगमेल सिह पुत्र श्री राजासिह
5. सिमरनजीत कौर पुत्री श्री जगमेल सिह पुत्र श्री राजासिह

जाति मजबी निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 108/23 खाता परविन्द्र कौर जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प.न. 162/142 मु.न. 25 किला नं. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. गै.मु.खाला 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला 7,8,9/0.253 है.प्र. कुल 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी प्रार्थीया मालिक एवं काबिज है। जिसमे आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकती प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने–जाने/काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के पिता नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 1 एनकेआर प.न. 162/142 मु.न. 25 किला नं. 10 मे से 0.025 है. किला नं. 11 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम 165 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाना हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो बावजूद सुचना उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1123 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रार्थीया वर्तमान में अपने खेत में आने के लिए 161/142 मु.न. 24 के किला नं. 5,6,15,16,25 से गुजरने वाले कटानी रास्ते से भूमि खाली होन पर 162/142 के किला नं. 10 में रास्ते का उपयोग करते है व प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट ...ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है ...के आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा ...ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक ...ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि ...र्थीया की कृषि भूमि चक 1 एनकेआर में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का ...ाव होने से रास्ते की आत्यंधिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु ...तिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए ...ीकार में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 1 एनकेआर प.न. 162/142 मु.न. 25 किला नं. 10 ...से 0.025 हे. (किला नं. 11 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम) (165 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट ...ड़ा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थीया का किला नम्बर 9 मे से उक्तानुसार रकवा कम कर किला नं. 10 के चिपता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। तथा प्रार्थी अपने खर्चे पर अपने रकबे को अप्रार्थीगण के रकवे के एक समान/बराबर/समस्थल करवाकर अप्रार्थीगण को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बावत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 9.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner